



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 123

/2042-00232in/17

दिनांक : 17 / 03 / 2017

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(क्षेत्रीय)

उ०प्र० जल निगम।

कानपुर/मुरादाबाद/वाराणसी/फैजाबाद/लखनऊ।

विषय:- वर्ष 2016-17 में अनुदान सं.-13 के अन्तर्गत शासनादेश सं.-23/सम-73/2016-01(आई.एस.वि.)/2016 दिनांक 22.12.2016 द्वारा स्वीकृत चयनित ग्रामों में आई-स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश सं.-23/सम-73/2016-01(आई.एस.वि.)/2016 दिनांक 22.12.2016 द्वारा 08 जनपदों कमशः जनपद इलाहाबाद, मऊ, मिर्जापुर, सीतापुर, फैजाबाद, लखनऊ, बलिया एवं उन्नाव में आई-स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजनान्तर्गत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में कुल रू० 1202.57 लाख की धनराशि उ० प्र० जल निगम को अवमुक्त की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 08 जनपदों में आई-स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजनान्तर्गत कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि रू० 1202.57 लाख प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-155/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 09.03.17 द्वारा क्षेत्रों को अवमुक्त कर दी गई है। कृपया संबंधित जनपदों को संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि तत्काल अवमुक्त करने का कष्ट करें।

क.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	इलाहाबाद	307.54
2	वाराणसी	429.00
3	फैजाबाद	101.76
4	लखनऊ	364.27
	योग	1202.57

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर० एम० त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव(समन्वय), उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-155/2313-0001/बजट /2016-17 दिनांक 09.03.17 के संदर्भ में।
4. अधीक्षण अभियन्ता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

